प्रेषक,                                                                                    संख्या-3347/33-3-2015-1/2008

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3          लखनऊः          दिनांकः 21 दिसम्बर, 2015

विषयः नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक परियोजना के अन्तर्गत दी जा रही सेवाओं को शत-प्रतिशत आनलाइन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः-563/33-3/2015-1/2008, दिनांक 23 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ई-डिस्ट्रिक परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्देश जारी करते हुए विभाग द्वारा आम नागरिकों को कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र अथवा ऑन-लाइन माध्यमों से जन्म प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) सुगमता से उपलब्ध कराने सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य को विभाग द्वारा प्रदत्त समस्त सेवाएं समान एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनवरी, 2016 से उक्त दोनों सेवाओं हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत एवं क्रमतर प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा सकेंगे। इस दशा में जनपदों द्वारा दी जा रही उक्त दोनों सेवाओं यथा जन्म प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) के मैनुअल आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए माह जनवरी, 2016 से उक्त दोनों सेवाओं को शत-प्रतिशत ऑनलाइन कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-    /1/33-3-2015, तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, उ.प्र.शासन, लखनऊ
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।